उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 7 | 1-15 अप्रैल 2023 | ₹ 20/-

एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में संशोधन से मचा बवाल

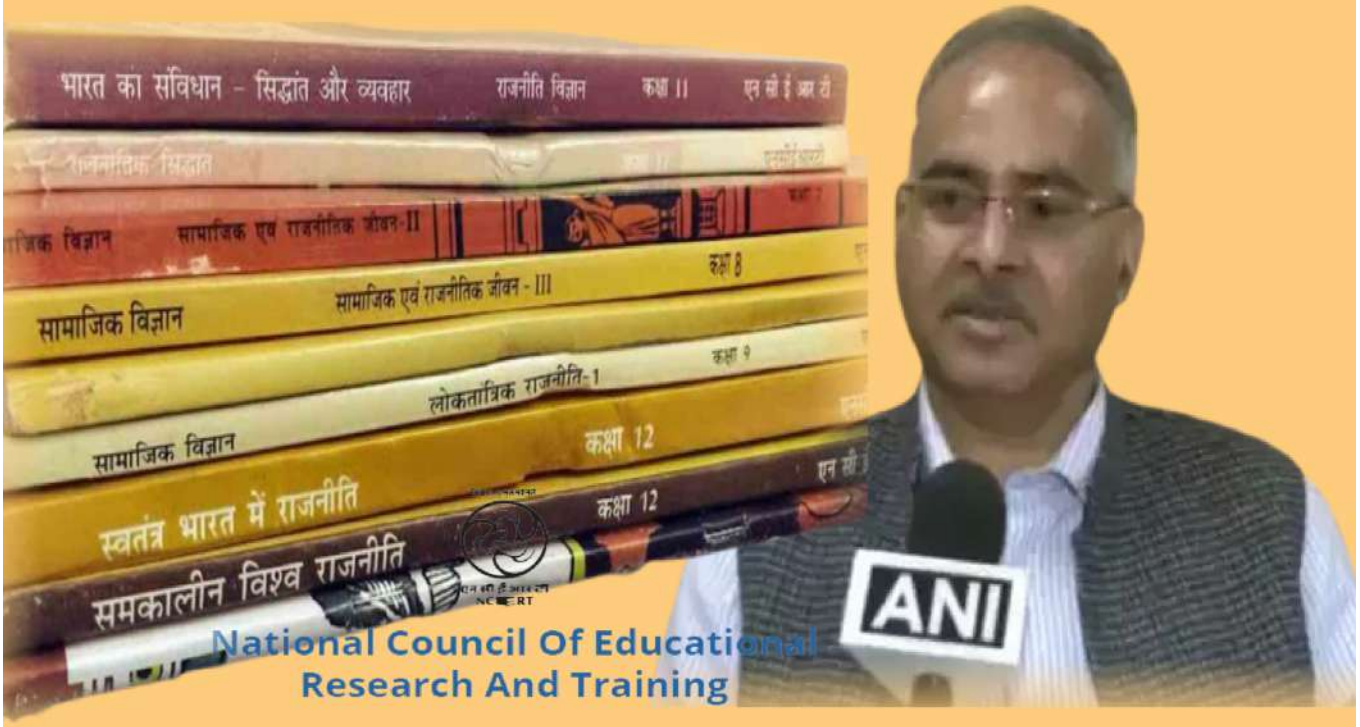

- मलियाना हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
- अफगानिस्तान पर चीन का 11 सूत्रीय नीति पत्र जारी
- मस्जिद अल-अक्सा पर इजरायली हमले का विरोध
- महाराष्ट्र में 800 फर्जी स्कूल

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में संशोधन से मचा बवाल 04
मलियाना हत्याकांड के सभी आरोपी बरी 06
केरल के इस्लामिक चैनल पर लगा प्रतिबंध हटा 08
मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत मंजूर 10
इस्लामिक विद्वान मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी का निधन 11

विश्व

अफगानिस्तान के मामले पर चीन का 11 सूत्रीय नीति पत्र जारी 13
म्यांमार में सेना की बमबारी में सौ से अधिक मरे 14
अमेरिका और फ्रांस के बीच तनाव 15
अमेरिका में मस्जिद के इमाम पर हमला 16
चीन के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा 17

पश्चिम एशिया

मस्जिद अल-अक्सा पर इजरायली हमले का विरोध 18
ईरान में हिजाब न पहनने पर सख्त कार्रवाई की धमकी 20
ओपेक देशों में तेल के मूल्यों में वृद्धि 21
यमन में युद्धविराम 21
मुस्लिम जगत से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील 23

अन्य

महाराष्ट्र में 800 फर्जी स्कूल 24
यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में मुस्लिम लड़कियों की कामयाबी 24
मस्जिद-ए-नबवी में प्रतिदिन 400 टन आब-ए-जमजम वितरीत 25
हैदराबाद को भाग्यलक्ष्मी नगर कहे जाने पर ईसाई नाराज 25
मिस्र में फल नहीं खरीदने पर पति ने की पत्नी की हत्या 25

सारांश

हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने पाठ्यक्रमों में जो संशोधन किया है, उसकी आड़ लेकर मुस्लिम संगठनों, वामपंथी दलों और सेक्युलर दलों ने सरकार को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि कोरोना की महामारी के बाद पिछले साल हर विषय के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, ताकि बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी ने हर विषय के सिलेबस को देखा और यह तय किया कि कौन-कौन से अध्याय हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सब शैक्षणिक प्रक्रिया के तहत हुआ है और इन पाठ्यक्रमों में सुधार एवं संशोधन का कार्य भारत सरकार द्वारा 2020 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सामने रखकर किया गया है।

विवादित इस्लामिक प्रचारक मौलाना कलीम सिद्दीकी डेढ़ वर्ष तक जेल में गुजारने के बाद अब सशर्त जमानत पर रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई का श्रेय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संगठनों में आपसी होड़ लगी हुई है। गौरतलब है कि मौलाना मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में अनेक संगठन चलाते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी पर यह आरोप लगाया था कि वह अपने संगठनों के जरिए जबरन या पैसे का प्रलोभन देकर लोगों को इस्लाम में धर्मांतरण करवाते हैं और इसके लिए उन्हें विदेशों से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

चीन अरब जगत में अपना प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। उसके गुप्त प्रयासों से ही इस्लामिक जगत के दो पुराने शत्रु सऊदी अरब और ईरान अब एकजुट हो गए हैं। गत एक दशक से यमन में जो गृहयुद्ध चल रहा था, उसने भी एक नया मोड़ लिया है। यमन की सुन्नी सरकार और ईरान समर्थक हूती शिया विद्रोहियों के बीच युद्धविराम की घोषणा हो गई है, जिसके पीछे भी चीन का ही हाथ बताया जा रहा है। चीन के कूटनीतिक प्रयासों के चलते इस्लामिक विश्व में अमेरिका और इजरायल की स्थिति को जबरदस्त धक्का लगा है। पिछले सौ वर्षों से मध्य पूर्व के अरब जगत में पहले ब्रिटेन और बाद में अमेरिका का बोलबाला रहा है। इस क्षेत्र के सभी शासकों की नीति अमेरिका समर्थक रही है।

चीन का प्रभाव अब अफगानिस्तान में भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में चीन ने पहली बार अफगानिस्तान के बारे में अपनी '11 सूत्री नीति' की घोषणा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब चीन पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में भी अपने कदम तेजी से जमाने का प्रयास कर रहा है। शायद यही कारण है कि चीन ने अफगानिस्तान को एक मोटी धनराशि कर्ज के रूप में देने का संकेत भी दिया है। अफगानिस्तान और चीन की बढ़ती हुई दोस्ती भी भारत के लिए आने वाले समय में परेशानी का कारण बन सकती है। इन दिनों चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए मतभेदों को सुलझाने का भी प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर इन दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ गए, तो इस क्षेत्र में आर्थिक प्रभुत्व के चीनी मंसूबों को जबरदस्त धक्का लग सकता है। पाकिस्तान का यह आरोप है कि उसके देश में होने वाली अधिकांश आतंकी घटनाओं के तार अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री खुले आम यह घोषणा कर चुके हैं कि जब तक अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान के विरुद्ध होता रहेगा, पाकिस्तान में शांति स्थापित नहीं हो सकती।

एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में संशोधन से मचा बवाल

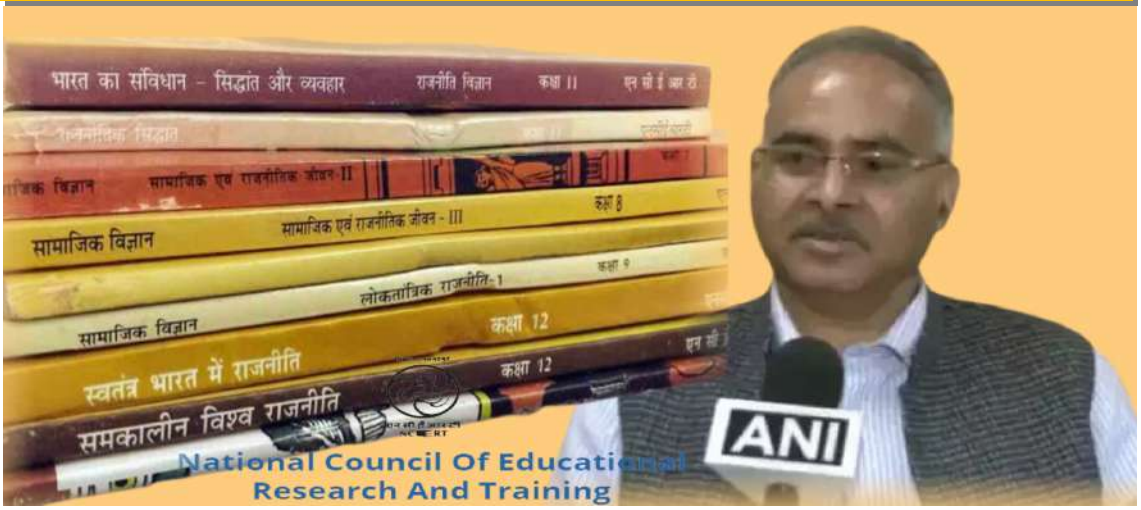

सालार (4 अप्रैल) के अनुसार एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के पाठ्यक्रमों में कुछ संशोधन किए हैं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान में आरएसएस ने जो स्वप्न देखे थे, उसे अब केंद्र की मोदी सरकार पूरा कर रही है। समाचारपत्र के अनुसार इतिहास की पुस्तक से मुगल सल्तनत के अध्याय को हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजनीति शास्त्र की पुस्तक से विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व और शीतयुद्ध का युग जैसे कई अध्यायों को भी हटा दिया गया है। आजादी के बाद से भारतीय राजनीति पुस्तक से जनांदोलनों का उदय और एक दलीय प्रभुत्व के युग को हटा दिया गया है।

एनसीईआरटी ने हिंदी के पाठ्यक्रम में भी कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसके तहत फिराक गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और विष्णु खरे की रचनाओं को भी हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 10वीं और 11वीं कक्षा की पुस्तकों से भी कई अध्यायों को हटाया गया है। उदाहरण के तौर पर कक्षा 11वीं की पुस्तक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे अध्यायों को हटा दिया गया है। इसी तरह से 10वीं कक्षा की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति-2 से लोकतंत्र और विविधता, जन-संघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौतियां जैसे अध्यायों को हटाया गया है। पाठ्यक्रमों में यह बदलाव देश के उन सभी स्कूलों और छात्रों पर लागू होगी, जहां पर एनसीईआरटी की पुस्तकें पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं।

इंकलाब (14 अप्रैल) के अनुसार एनसीईआरटी की पुस्तकों से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम भी गायब हो गया है। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर के भारत के साथ अपनी इच्छा से किए गए विलय के उल्लेख को भी हटा दिया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक के पहले अध्याय संविधान क्यों और कैसे? में संविधान सभा की कमेटी के अधिवेशन से भी मौलाना आजाद को हटा दिया गया है। अब संशोधित लाइन इस प्रकार है कि आमतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या डॉ. भीमराव अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता किया करते

थे। पहले इसमें मौलाना आजाद का नाम भी आता था। अध्याय में लिखा गया था कि संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए आठ बड़ी कमेटियां थीं, जिनकी आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अम्बेडकर अध्यक्षता किया करते थे।

समाचारपत्र ने कहा है कि ये लोग बहुत से विषयों पर आपस में असहमत होते थे। मौलाना आजाद ने 1946 में विशेष भूमिका निभाई थी। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करने और भारत के नए संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अपने छठे वर्ष में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मौलाना आजाद फेलोशिप को भी बंद कर दिया था।

रोजनामा सहारा (4 अप्रैल) के अनुसार पाठ्यक्रमों में जो संशोधन किया गया है, वह इसी वर्ष से देश भर में लागू होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिब्यकांत शुक्ला ने पाठ्यक्रमों में किए गए इन संशोधनों की पुष्टि की है। दूसरी ओर, एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि इस संदर्भ में अखबारों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में जो संशोधन किए गए हैं, उनसे छात्रों को मिलने वाली जानकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुगलों के इतिहास से संबंधित अंशों को हटाने का जो दावा किया गया है, वह भी गलत और भ्रामक है। कोरोना के कारण छात्रों को जो पढ़ाई में नुकसान हुआ था, उसकी पूर्ति के लिए यह कदम उठाया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से कई अध्याय हटा दिए गए थे, जिनमें से एक का संबंध गुजरात के दंगों से था। एनसीईआरटी के निदेशक ने कहा है कि सरकार ने 2020 में जो नई शिक्षा नीति बनाई है, हम उसके तहत ही काम कर रहे हैं।

सियासत (10 अप्रैल) के अनुसार देश के 250 से अधिक शिक्षाविदों ने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों की निंदा की है, जिनमें रोमिला थापर, जयती घोष, मृदुला मुखर्जी, अपूर्वानंद, इरफान हबीब, उपेंद्र सिंह जैसे लोग शामिल हैं। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस बदलाव की निंदा की है और कहा है कि इन पुस्तकों में जो संशोधन किए गए हैं, वे सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को बेनकाब करते हैं। ये संशोधन संविधान और संस्कृति के खिलाफ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने भी इन संशोधनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है और इसे वापस लेने की मांग की है।

इत्तेमाद (7 अप्रैल) ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार देश की विरासत और इतिहास को गलत अंदाज में पेश करके देश की नई पीढ़ी के दिमागों में नफरत भरना चाहती है और यह देश की गंगा-जमुनी संस्कृति और एकता के लिए बेहद खतरनाक है। इससे किसी विशेष कौम का नुकसान हो या न हो, मगर देश का जरूर बेड़ा गर्क हो जाएगा। चुनाव नजदीक आते हीं हिंदुओं के वोटों को बटोरने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

सालार (8 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि मुगल काल देश के इतिहास का उज्जवल हिस्सा है और उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मगर अब राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण युग को समाप्त किया जा रहा है। हिंदुओं का एक वर्ग मुगलों के बारे में हीन भावना का शिकार है, इसलिए इन पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया गया है।

मलियाना हत्याकांड के सभी आरोपी बरी

रोजनामा सहारा (3 अप्रैल) के अनुसार 1987 में मेरठ के मलियाना में हुए दंगों में 60 से अधिक लोगों की हत्या के मामले में 36 सालों के बाद फैसला आया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने 39 आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि इस मामले के 40 अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। मरने वालों में मृतकों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. पी.एन. मल्होत्रा भी शामिल हैं। यह निर्णय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लखविंदर सिंह सूद ने सुनाया है।

रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है। गौरतलब है कि 14 आरोपियों को पहले ही विभिन्न अदालतें बरी कर चुकी हैं। कहा जाता है कि इन मुस्लिम विरोधी दंगों में 68 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। 22 मई 1987 को हाशिमपुरा और उसके अगले ही दिन मलियाना के मोहल्ला शेर खान में भीषण दंगा हुआ था, जिसमें दंगाईयों ने लोगों के घरों को आग लगाकर लूटपाट की थी। मोहल्ले के एक निवासी याकूब अली ने इन दंगों के बारे में अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें 93 लोगों को नामजद किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाए गए थे कि आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में रहने वालों पर हमला करके उनकी सामूहिक हत्या की थी और उनके घरों को आग लगा दी थी। इस मुकदमे में 74 गवाह थे, जिनमें से अब सिर्फ 25 ही जिंदा बचे हैं।

आरोपियों के वकील सी.एल. बंसल ने कहा कि अदालत ने सबूत नहीं होने के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत में यह तर्क दिया गया था कि पुलिस ने मतदाता सूची को देखकर लोगों को इस हत्याकांड का आरोपी करार दिया था। जबकि इस मामले में उनका कोई कसूर नहीं था। मेरठ के हाशिमपुरा के अगले दिन मलियाना में कत्लेआम हुआ था। अदालत में मुकदमा दायर करने वाले याकूब ने आरोप लगाया था कि पीएसी के लोग अपने हाथों में अस्त्र-शस्त्र लेकर आए और धमकी देकर वापस चले गए कि हाशिमपुरा की तरह यहां भी कत्लेआम होगा। इसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 68 लोग मारे गए।

रिपोर्ट के अनुसार याकूब ने यह आरोप लगाया था कि इस मामले में सलीम ने मतदाता सूची टीपी नगर के एसएचओ को दी थी और नाम दर्ज कराए थे। अगले दिन इस पर मेरे हस्तक्षार करवाए गए, लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं देख

सका। इसके बाद अदालत में यह साबित किया गया कि इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने गलत ढंग से लोगों को फंसाया है।

इंकलाब (7 अप्रैल) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार जिला न्यायाधीश के इस फैसले को अब उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी हो रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि हाशिमपुरा और मलियाना हत्याकांड के मुकदमे की पैरवी सही ढंग से न किए जाने के कारण आरोपी बच गए हैं।

सालार (3 अप्रैल) के अनुसार गुजरात की एक अदालत ने 2002 के दंगों की अलग-अलग घटनाओं में 12 से अधिक मुसलमानों की हत्या और महिलाओं के सामूहिक बलात्कार के सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 39 आरोपी थे, जिनमें से 13 की मौत मुकदमे की सुनवाई के दौरान हो गई थी। पंचमहल जिला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लीलाभाई चुडासमा ने ताजा फैसले में इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

इन आरोपियों पर यह आरोप था कि ये उस भीड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती ट्रेन को जलाने के विरोध में बंद का आह्वान किया था और एक मार्च 2002 को सांप्रदायिक दंगे करवाए थे। आरोपियों के खिलाफ कलोल पुलिस थाने में 2 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष ने 190 गवाहों और 334 दस्तावेजों को इस मुकदमे में पेश किया था। अदालत ने कहा है कि गवाहों के बयानों में भारी अंतर है। इसके अतिरिक्त अदालत में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनसे भी इन आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए इस मामले के सभी आरोपियों को बरी किया जाता है।

सालार (3 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आज के अखबारों में दो ऐसे खौफनाक समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिनके बारे में मुसलमानों को यह आशा थी कि उन्हें देर सवेर जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन उनकी आशाओं को तब धक्का लगा, जब दोनों जगह से यह खबर आई कि मुसलमानों के हत्यारों और मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को अदालत में सबूत नहीं पेश किए जाने की आड़ में बरी कर दिया गया है। कुछ महीने पूर्व बिलकिस बानो के बलात्कारियों को राज्य सरकार द्वारा जिस तरह से रिहा किया गया, उसे कोई कैसे भूल सकता है? जाकिया जाफरी का प्रयास भी न्याय पाने में विफल रहा है। इससे मुसलमानों में निराशा छा गई है।

समाचारपत्र का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की 29 मार्च 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी संस्थानों पर मोदी का शिकंजा मजबूत हो गया है और भयभीत प्रशासन और जनता मोदी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। वर्तमान खौफनाक हालात को देखते हुए इस बात को समझा जा रहा है कि हिंदुस्तान किधर जा रहा है। इसलिए इन हालात का सामना करने के लिए मुसलमानों को नई रणनीति अपनानी होगी।

केरल के इस्लामिक चैनल पर लगा प्रतिबंध हटा

इंकलाब (6 अप्रैल) के अनुसार एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केरल के मलयालम न्यूज चैनल 'मीडिया वन' के प्रसारण पर पाबंदी लगाई गई थी। यह चैनल मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। सरकार ने यह आरोप लगाया था कि इस चैनल का प्रसारण देश की एकता के लिए खतरा है। सरकार ने यह दलील दी थी कि इस चैनल में जमात-ए-इस्लामी का भी धन लगा हुआ है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सरकार द्वारा इस चैनल पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार करार दिया है और इस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। इसके साथ ही, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि वह अगले एक महीने में चैनल के लाइसेंस का नवीनीकरण करे। अदालत ने कहा है कि चैनल के प्रसारणों को सिर्फ इसलिए देश की एकता के लिए खतरा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह सरकार की आलोचना करता है।

गौरतलब है कि इस चैनल ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के प्रदर्शनों के दौरान सरकार के आलोचना की थी और इससे संबंधित आपत्तिजनक समाचार प्रसारित किए थे। इसके बाद केंद्र सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इंकार कर दिया था और यह तर्क दिया था कि गृह मंत्रालय और गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट इस चैनल के बारे में सकारात्मक नहीं हैं। चैनल ने इस फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील भी की थी। उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार की सीलबंद रिपोर्ट के आधार पर इस फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद चैनल ने उच्च न्यायालय से पुनर्विचार की अपील की थी। मगर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस फैसले को फिर से बरकरार रखा।

इसके बाद मीडिया वन चैनल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी और यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने बेबुनियाद आरोपों के तहत चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है और उसके लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं किया जा रहा है। चैनल ने सर्वोच्च न्यायालय को यह बताया कि उसे केंद्र सरकार ने देश के लिए खतरा घोषित किया। मगर केंद्र सरकार ने इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट पेश नहीं की । यहां तक कि केरल उच्च न्यायालय में भी सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई और यह दावा किया गया कि देश की एकता और अखंडता के कारण गुप्तचर ब्यूरो की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मार्च 2022 को सरकार और उच्च न्यायालय के फैसले के

खिलाफ स्थगन आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की बात हवा में नहीं की जा सकती। इसको सिद्ध करने के लिए ठोस आधार और सबूत होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की भी आलोचना की है। फैसले में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए स्वतंत्र मीडिया का वजूद बेहद जरूरी है। सरकार के बारे में सच बोलना और जनता को सही समाचार देना मीडिया की जिम्मेदारी है। अदालत ने सरकार के इस आरोप को भी बेबुनियाद करार दिया कि इस चैनल में जमात-ए-इस्लामी का धन लगा हुआ है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में इस न्यूज चैनल पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस देश में जबकि सभी पवित्र संस्थान अपनी पवित्रता और निष्पक्षता खो चुके हैं। मगर न्यायपालिका अब भी अपने गौरव को बचाए हुए है, जोकि निराशा के अंधेरे में आशा की एक किरण है। इस फैसले से यह आशा पैदा हुई है कि 2024 के चुनाव से पूर्व विपक्ष को ठिकाने लगाने की जो योजना सरकार ने बनाई है, उस पर इससे रोक लगेगी। लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों को तो इससे निराशा ही हुई है। क्योंकि सरकार की ओर से विपक्ष को परेशान करने के सिलसिले में 14 विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी, उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन हाल ही में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने कुछ ऐसे फैसले जरूर दिए हैं, जिससे संविधान और कानून की श्रेष्ठता सिद्ध होती है।

1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और बाद में उन्हें इसे हटाना पड़ा। इसके साथ ही चुनावों में उनका सफाया हो गया था। मगर आज का वातावरण बिल्कुल अलग है और देश के हालात 1977 से भी ज्यादा खराब हैं। मीडिया के एक वर्ग को सरकार ने डरा-धमका कर और प्रलोभन देकर सरकार की लाइन अपनाने पर मजबूर कर दिया है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकार का गुणगान करने में व्यस्त है और जिसने भी सिर उठाकर चलने की कोशिश की उसे डरा-धमका कर और खरीदकर खामोश कर दिया गया। संसद अडानी के मामले में ठप कर दी गई और अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को सरकार देशद्रोह का केस बना देती है। चुनावों में विपक्ष की जीत की उम्मीदों को खत्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ फाइलें तैयार हैं, जिसके कारण उन्हें खामोश रहने के लिए मजबूर किया जा चुका है। सोनिया गांधी और राहुल तक से पूछताछ हो चुकी है। अब सबकी नजरें सर्वोच्च न्यायालय पर लगी हुई हैं।

सालार (8 अप्रैल)ने अपने संपादकीय में कहा है कि मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, वह स्वागत योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी चैनल के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करना अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना है। किसी चैनल और मीडिया पर इसलिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वह ऐसे समाचार प्रसारित करता है, जोकि सरकार के खिलाफ होते हैं। सरकार की नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करना मीडिया का धर्म है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत मंजूर

मुंबई उर्दू न्यूज (7 अप्रैल) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने धर्मांतरण के केस में इस्लामिक प्रचारक मौलाना कलीम सिद्दीकी को सशर्त जमानत दे दी है। मौलाना पिछले 18 महीने से लखनऊ की जेल में बंद थे। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जबरन धर्मांतरण के आरोप में मेरठ से गिरफ्तार किया था और उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। मौलाना की जमानत की अर्जी गत कई तिथियों से स्थगित होती आ रही थी। इस बार भी एटीएस ने इसका विरोध किया था, मगर मौलाना के वकीलों ने उनकी जमानत को मंजूर करवा लिया। मौलाना के वकील ने बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के लीगल पैनल का प्रयास सफल रहा है।

गौरतलब है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ 17 अन्य लोग भी जेल में बंद हैं, जिनमें से तीन की जमानत मंजूर हो चुकी है। इनमें से एक को सर्वोच्च न्यायालय ने और दो को उच्च न्यायालय ने जमानत दी है। मौलाना के वकीलों ने कहा है कि एक संगठन के द्वारा मौलाना की जमानत का श्रेय लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह सरासर गलत है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर के गांव फुलत से संबंध रखने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाते हैं। इसके अतिरिक्त वे ग्लोबल पीस फाउंडेशन के भी अध्यक्ष हैं। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने यह दावा किया था कि मौलाना धर्म परिवर्तन के काम में लगे हुए हैं और उन्हें विदेशों से आर्थिक सहायता मिलती है। जांच एजेंसियों ने यह बात भी कही थी कि मौलाना देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चलाते हैं और गैर-मुसलमानों को गुमराह करके और उन्हें डरा-धमका कर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। इस मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी से पहले मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मौलाना सिद्दीकी की जमानत पर टिप्पणी करते हुए समाचारपत्र ने कहा है कि चाहिए तो यह था कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, उसके निराकरण के लिए मुसलमान कोई ठोस नीति बनाते। लेकिन बहस इस बात की हो रही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत किसने

करवाई और किसने नहीं करवाई। इससे पूर्व भी जब जयपुर बम ब्लास्ट केस में चार युवक फांसी की सजा से बरी हुए थे, तब भी इसी तरह की बहस छिड़ी थी। दोनों मौकों पर जमीयत उलेमा पर यह कहकर हमला करने की कोशिश की गई कि इन मुकदमों से जमीयत का कोई संबंध नहीं है। एक मामले में मौलाना अरशद मदनी के धड़े पर उंगली उठाई गई, तो दूसरे मामले में मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता वाली जमीयत उलेमा पर। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस देश में जिस तरह से जमीयत उलेमा मैदान में आती है, वैसा कोई संगठन मौजूद नहीं है। जमीयत उलेमा ने कई निर्दोषों को फांसी और उम्रकैद से बचाया है। समाचारपत्र का कहना है कि मौलाना कलीम को किसी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत नहीं थी। वे अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं, लेकिन कानूनी सहायता की जरूरत उन गरीब मुसलमानों को है, जिन्हें आतंकवाद के झूठे आरोपों में फंसाकर जेलों में डाला गया है। ■

इस्लामिक विद्वान मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी का निधन

सालार (14 अप्रैल) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष और दारूल उलूम नदवातुल उलेमा के प्रमुख मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे विश्व के मुस्लिम जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पिछले कुछ दिनों से यह खबर गर्म थी कि मौलाना की तबीयत खराब चल रही है और उन्हें उनके पैतृक स्थान रायबरेली से लखनऊ इलाज के लिए लाया गया था। 13 अप्रैल को लखनऊ के अस्पताल में उनका निधन हो

गया। वे 93 वर्ष के थे। उन्हें उनके पैतृक स्थान में दफन कर दिया गया। इस अवसर पर लाखों लोग मौजूद थे। मौलाना का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के टकिया कलां के एक विख्यात धार्मिक परिवार में साल 1929 में हुआ था। उनके पिता का नाम सैयद अहमद हसनी था। उन्होंने दारूल उलूम नदवातुल उलेमा में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद वे दारूल उलूम देवबंद और सऊदी अरब की इंटरनेशनल इस्लामिक विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे। साल 1999 में मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी के निधन के बाद उन्हें दारूल उलूम नदवातुल उलेमा का प्रमुख नियुक्त किया गया था। 2002 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी का निधन हुआ था, तो उन्हें सर्वसम्मति से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया।

देश और विदेश के मुस्लिम अखबारों में उनके निधन का समाचार बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मौलाना को मिल्लत का अनमोल रत्न की संज्ञा दी है और कहा है कि दीनी और मिल्ली मामलों में मृतक की सेवाएं मुस्लिम जगत कभी नहीं भूल सकता।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना की मृत्यु को देश, कौम और मिल्लत के लिए कभी न पूरी होने वाली क्षति करार दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रस्ताव में कहा है कि मौलाना को दुनिया भर के मुसलमानों में बहुत ही सम्मान से देखा जाता था। उनकी शख्सियत अनमोल थी। आज के युग में जबकि मिल्लत इस्लामिया संकट के दौर से गुजर रही है, मौलाना का निधन बेहद दुखद है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता के. रहमान खान ने कहा है कि मौलाना जैसे लोग हजारों वर्षों में एकाध ही पैदा होते हैं। वे राष्ट्रीय एकता के वाहक और असल अर्थों में इस्लाम के प्रवक्ता थे। उनके निधन से विश्व के मुस्लिम जगत को जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति असंभव है।

जमीयत उलेमा के अधयक्ष महमूद मदनी ने कहा है कि मौलाना नदवी की शख्सियत विद्वता की पुंज थी। वे इस्लाम के बेहतरीन प्रचारक और चिंतक थे, जिनकी किताबों से दुनियाभर के मुसलमान शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। प्रो. अख्तरूल वासे ने मौलाना को श्रद्धांजलि पेश करते हुए कहा है कि मौलाना पवित्रता, ज्ञान और उच्च चरित्र की प्रतिमूर्ति थे। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा है कि उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु खो दिया है। मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष फिरोज अहमद ने मौलाना के निधन को मिल्लत और इस्लामिक जगत के लिए ऐसी क्षति करार दिया है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। ■

अफगानिस्तान के मामले पर चीन का 11 सूत्रीय नीति पत्र जारी

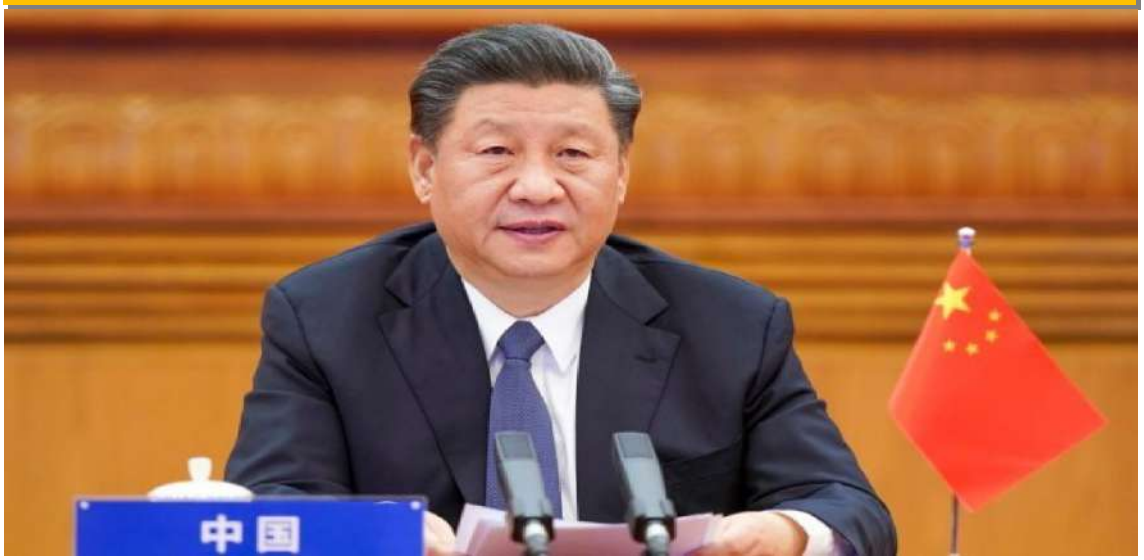

इंकलाब (14 अप्रैल) के अनुसार चीन ने अफगानिस्तान के बारे में अपने 11 सूत्रीय नीति पत्र की घोषणा कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी इस घोषणा पत्र का शीर्षक है, 'अफगानिस्तान के मामले पर चीन की नीति'। इस घोषणापत्र में चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान मुद्दे पर विभिन्न देशों के बीच जियो-फिजिकल खेल की बजाय सहयोग का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। चीन उन सभी योजनाओं और उस दिशा में उठाए गए कदमों का समर्थन करता है, जोकि अफगानिस्तान की समस्या के राजनीतिक सामाधान के लिए कारगर हों। इस घोषणापत्र के अनुसार चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अफगान जनता के स्वतंत्र चुनाव का अधिकार, अफगानिस्तान के धार्मिक मान्यताओं और राष्ट्रीय रस्मो-रिवाज का सम्मान करता है।

घोषणापत्र में कहा गया है कि चीन कभी भी अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न ही कभी स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान पर अपने प्रभाव को डालने की कोशिश करेगा। चीन अफगानिस्तान में उदारवादी और बुद्धिमतापूर्ण शासन प्रणाली का समर्थन करता है और यह आशा करता है कि अफगानिस्तान एक विस्तृत राजनीतिक ढांचे का निर्माण करेगा और उदारवादी तथा दूरदर्शिता पर आधारित देशी और विदेशी नीतियां अपनाएगा। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान की सरकार महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और नस्ली समूहों सहित सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और हितों की रक्षा करेगी। चीन अफगानिस्तान के नवनिर्माण और विकास में अपना पूरा प्रयास जारी रखेगा और सहायता के आश्वासनों को पूरा करेगा। इसके साथ ही चीन आर्थिक-व्यापारिक और पूंजी निवेश में निरंतर वृद्धि करेगा और चिकित्सा, गरीबी के खात्मे, कृषि और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और अन्य समस्याओं को कम करने में पूरा सहयोग देगा।

आतंकवाद का हवाला देते हुए इस घोषणापत्र में कहा गया है कि चीन को यह उम्मीद है कि अफगानिस्तान सभी आतंकवादी शक्तियों, जिनमें ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुवमेंट भी शामिल है, के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा

और आतंकवादियों की आर्थिक सहायता, आतंकवादियों की भर्ती तथा सीमा पार से उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वह अफगानिस्तान के साथ अपने पुराने वायदों और जिम्मेदारियों को पूरा करे, क्योंकि उसी के कारण अफगानिस्तान की समस्या पैदा हुई है। चीन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अफगानिस्तान में स्थाई शांति और स्थिरता के लिए विभिन्न देशों को अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में सैनिक अड्डे को स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चीन ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही मादक पदार्थों के खिलाफ अफगानिस्तान के युद्ध का भी समर्थन किया है।

और अफगानिस्तान में नागरिकों, संस्थानों और चीन तथा अन्य देशों द्वारा की गई विकास योजनाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। चीन ने विश्व समुदाय से यह अनुरोध किया है कि वे दो तरफा और बहुलक्षित आतंकवाद को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दें और अफगानिस्तान को आवश्यक उपकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं।

चीन ने विश्व समुदाय से यह भी अपील की है कि वे अफगानिस्तान की आतंकवाद और पृथकतावाद के खिलाफ जंग में पूरा सहयोग करें

म्यांमार में सेना की बमबारी में सौ से अधिक मरे

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार म्यांमार में फौजी सरकार ने मार्शल लॉ के खिलाफ संघर्ष करने वाले राजनीतिक लोगों के गढ़ों पर जोरदार हवाई हमले किए, जिनमें सौ से अधिक लोग मारे गए। संवाद समितियों के अनुसार म्यांमार की सेना के जंगी विमानों और हेलिकॉप्टरों ने यांगून के निकटवर्ती क्षेत्रों पर बमबारी की। ये क्षेत्र म्यांमार के सैनिक शासकों के खिलाफ गत दो वर्ष में सबसे बड़े गढ़ के रूप में उभरा है। इस हमले में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। प्रारंभ में सैनिक सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। मगर बाद में एक प्रेस नोट में इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र पर हमला किया गया है, वह आतंकवादियों की भर्ती का केंद्र था।

इस हमले में मासूम नागरिकों के मारे जाने पर टिप्पणी करते हुए सेना ने कहा है कि आतंकवादी इन्हें जबरन अपने संगठन में लाए थे। क्योंकि, वे उनके केंद्रों में रह रहे थे, इसलिए वे भी फौजी हमले का शिकार बने हैं। अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला उस समय हुआ, जब एक प्रशासकीय कार्यालय के उद्घाटन का समारोह आयोजित किया गया था और उसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। गौरतलब है कि

म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था और आंग सान सू की सहित देश के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तब से सैनिक तानाशाही का देश भर में विरोध किया जा रहा है। इस विरोध को कुचलने के लिए की गई सैनिक कार्रवाई में पांच हजार से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। अभी तक 47 पुलिस अधिकारियों की प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़पों में मरने की पुष्टि हुई है। मानवाधिकारों के आंदोलन से संबंधित एक दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं को फांसी पर लटकाया जा चुका है। सरकारी सूत्रों के अनुसार गत दो वर्षों में सैनिक शासन ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए 600 से अधिक बार जंगी विमानों से हमले किए। म्यांमार में अशांति, उग्र प्रदर्शनों और सैन्य ऑपरेशन के कारण दस लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। पश्चिमी देशों ने म्यांमार के सैनिक प्रशासन के उच्चाधिकारियों के खिलाफ अनेक तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ■

अमेरिका और फ्रांस के बीच तनाव

इंकलाब (14 अप्रैल) के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ताइवान के बारे में जो बयान दिया था, उसके कारण अमेरिका और फ्रांस के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि अमेरिका के साथ गठबंधन का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उसके गुलाम हो गए हैं। मैक्रों ताइवान के बारे में दिए अपने बयान पर डटे हुए हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि फ्रांस ताइवान की यथास्थिति को बरकरार रखने के पक्ष में है और वन चाईना पॉलिसी का भी समर्थक है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए।

मैक्रों ने ताइवान के मामले में यूरोपीय यूनियन से वाशिंगटन और बीजिंग के अधीन न होने की मांग करके अमेरिका और यूरोप में नए विवाद को जन्म दे दिया है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के

अनुसार जब चीन ने ताईवान पर दबाव बढ़ाने के लिए सैनिक अभ्यास किए थे, तो उस समय इस विवाद की शुरुआत हुई थी। विदेशी संवाद समिति रॉयटर्स के अनुसार ताइवान के बारे में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जो बयान दिए हैं, उसे ताइवान के विदेश मंत्रालय ने परेशान करने वाला बताया है।

गौरतलब है कि इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यूरोपीय यूनियन से यह मांग की थी कि वह अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करे और वाशिंगटन और बीजिंग के अलावा वैश्विक मामलों के बारे में तीसरा पोल बनाए। ताइवान की शासक पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अध्यक्ष त्साई इंग-वेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनके इस बयान से मुझे बेहद हैरानी हुई है। फ्रांस के भी ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। लेकिन ताइपे में उसका एक कार्यालय जरूर है।

अमेरिका में मस्जिद के इमाम पर हमला

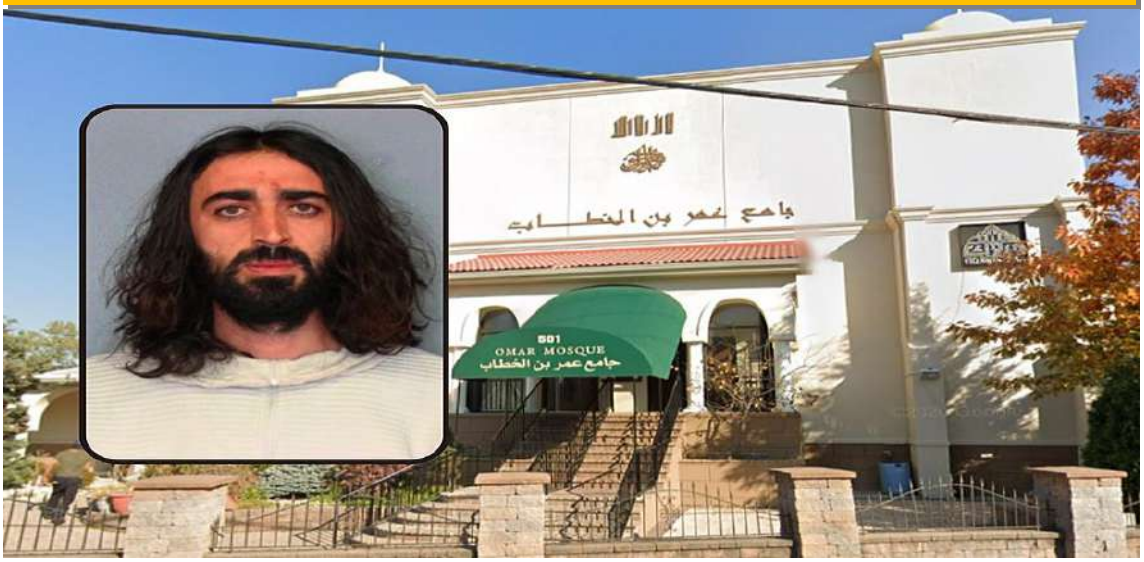

रोजनामा सहारा (11 अप्रैल) ने अमेरिकी टीवी चैनल सीएनएन के हवाले से कहा है कि न्यू जर्सी स्थित पैटरसन की मस्जिद उमर के इमाम सैयद एल्नाकिब एक हमलावर के हमले में घायल हो गए। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मस्जिद के प्रवक्ता ने कहा कि हमलावर मस्जिद में दाखिल होकर नमाज अदा कर रहा था। इसके बाद उसने अचानक इमाम पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद हमलावर ने मौके से भागने का प्रयास किया। मगर नमाजियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मस्जिद के प्रवक्ता के अनुसार जिस समय यह घटना घटित हुई, उस समय 200 से अधिक नमाजी मस्जिद के अंदर मौजूद थे। इस घटना के बाद नगर के मेयर ने अस्पताल में जाकर घायल इमाम से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि इमाम की हालत खतरे से बाहर है। मेयर ने कहा कि हालांकि, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, परंतु इस हमले की पृष्ठभूमि अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों का पवित्र महीना है। हम चाहते हैं कि जो लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।

समाचारपत्र के अनुसार कनाडा में इस्लामोफोबिया के कारण एक कार सवार व्यक्ति ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर कार चढ़ा दी, जिसके कारण दर्जनों नमाजी घायल हो गए। बाद में इस कार सवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार सवार की पहचान 28 वर्षीय शरण करुणाकरन के रूप में हुई है। कनाडा सरकार ने इस हमले की निंदा की है।

इंकलाब (12 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका में इमाम पर हमला करने वाले हमलावर को अदालत में पेश कर दिया गया है। उसकी पहचान 32 वर्षीय सेरिफ जोरबा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी वकील के अनुसार हमलावर को 26 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। घायल इमाम के तीन बच्चे हैं।

चीन के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार चीनी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बीते 20 वर्षों में 2.27 करोड़ युआन (33 लाख अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत लेने के आरोप में 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त उन पर 20 लाख युआन का जुर्माना भी लगाया गया है। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के प्रवर्तन ब्यूरो के पूर्व निदेशक मेंग जियांग पर 2003-2020 के बीच 33 लाख अमेरिकी डॉलर रिश्वत लेने से संबंधित आरोप लगाए गए थे। 58 वर्षीय इस न्यायाधीश पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने अदालती फैसलों में पक्षपात किया है और विभिन्न फर्मों को निर्माण कार्यों के ठेके देने में अपने पद का दुरुपयोग किया है। गौरतलब है कि इस व्यक्ति ने 30 वर्ष पूर्व अपने कैरियर की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी और इसके बाद वे तरक्की करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक पहुंचे थे।

इंकलाब (11 अप्रैल) में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार चीन के दो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया है। ये दोनों व्यक्ति पिछले तीन साल से अपने घरों में नजरबंद थे। डिंग जियाक्सी नामक एक वकील को 12 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरक्त एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनविद जू झियोंग को 14 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया है। इन दोनों मुकदमों की सुनवाई 2022 में एक बंद कमरे में हुई थी और इन्हें 2019 में हिरासत में लिया गया था। विदेशी अखबारों के अनुसार इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2013 में बीजिंग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भूमिका निभाई थी।

मस्जिद अल–अक्सा पर इजरायली हमले का विरोध

सालार (6 अप्रैल) के अनुसार इजरायली सेना ने मुस्लिम जगत के तीसरे सबसे पवित्र स्थान मस्जिद अल-अक्सा में घुसकर हजारों रोजेदारों और मस्जिद अल-अक्सा के प्रबंधकों को तीसरे दिन भी अपनी हिंसा का निशाना बनाया। इजरायली सेना ने मस्जिद अल-अक्सा पर हमला बोला, जिसमें सैकड़ों नमाजी जख्मी हो गए और कम-से-कम 400 से अधिक नमाजियों को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। यरुशलम से प्राप्त खबरों के अनुसार इजरायली सैनिक भारी अस्त्र-शस्त्रों से लैश होकर मस्जिद अल-अक्सा में घुस गए और उन्होंने नमाजियों को जबरन मस्जिद से बाहर निकाल दिया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले भी इजरायली सेना ने मस्जिद अल-अक्सा पर हमला बोलकर वहां से नमाजियों को जबरन बाहर निकाला था। इस हमले की दुनियाभर में प्रतिक्रिया हुई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 अप्रैल) के अनुसार अरब लीग ने मस्जिद अल-अक्सा पर इजरायली सेना के छापों की निंदा की है और कहा है कि इजरायली सेना और पुलिस ने घुसकर उस स्थान का अपमान किया है, जोकि मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। जबकि इजरायली पुलिस का कहना है कि उसे इसलिए मस्जिद परिसर में घुसना पड़ा, क्योंकि नमाजी लाठियां और पत्थर लेकर आए थे और मस्जिद के अंदर अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे करने का प्रयास किया जा रहा था। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा की है।

एक अन्य समाचार के अनुसार अल-अरबिया के संवाददाता ने यरुशलम के प्राचीन नगर में इजरायली पुलिस के भारी संख्या में तैनात किए जाने का समाचार दिया है और यह आरोप लगाया है कि इजरायली सेना 40 साल के कम उम्र वाले मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक रही थी। सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े और मोरक्को दरवाजे पर हमला करके मस्जिद में नमाज अदा करने वाले सैकड़ों नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अप्रैल) के अनुसार गाजा में पूरी रात इजरायली हिंसा के बाद हमास

पुलिस के हमले की निंदा की है। फिलिस्तीन की सरकारी संवाद समिति 'वफा' के अनुसार इजरायली सैनिक उस समय मस्जिद अल-अक्सा परिसर में दाखिल हुए, जब सैकड़ों मुसलमान रमजान की नमाज अदा कर रहे थे। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि यहूदी मस्जिद अल-अक्सा में पासोवर (फसह) नामक त्योहार को मनाने के लिए बकरे की कुर्बानी देना चाहते थे, जिसका नमाजियों ने विरोध किया। सऊदी अरब और मिस्र ने इस घटना की निंदा की है। इस्लामिक देशों के संगठन अरब लीग ने इस घटना का नोटिस लेते हुए अपना एक आपातकालीन अधिवेशन भी बुलाया है, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वे इस हमले का सामूहिक रूप से विरोध करें और इजरायल के खिलाफ संयुक्त रूप से डिप्लोमेटिक अभियान विश्वभर में चलाएं।

की ओर से जवाबी कार्रवाई में इजरायली क्षेत्रों पर मिसाइल दागे गए। सूत्रों के अनुसार कम-से-कम 44 रॉकेट इजरायली बस्तियों पर चलाए गए। इससे पूर्व इजरायली सैनिक विमानों ने गाजा के विभिन्न क्षेत्रों पर हमले किए। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली सेना हमास के किसी भी आतंकवादी को लेबनान के अंदर घुसने नहीं देगी। लेबनान से जो भी रॉकेट दागे जाते हैं, उसके लिए लेबनानी सरकार जिम्मेदार है। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अनेक प्रशिक्षण शिविरों पर हमले किए। हमास ने विश्वभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे मस्जिद अल-अक्सा और गाजा पर इजरायली हमलों का संयुक्त रूप से विरोध करें।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अप्रैल) ने यह दावा किया है कि लेबनानी सेना ने एक रॉकेट लॉन्चर अड्डे को तबाह किया है, जिससे इजरायली सेना ने लेबनान पर बमबारी की थी। इजरायल के मुताबिक दक्षिणी लेबनान से कम से कम 34 रॉकेट इजरायली क्षेत्र पर दागे गए, जिनमें से पांच आवासीय क्षेत्रों पर गिरे। इजरायल ने इन हमलों के लिए हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकवादी संगठनों को दोषी बताया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में मस्जिद अल-अक्सा पर यहूदी

इत्तेमाद (7 अप्रैल) के अनुसार विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा केंद्र जामिया अल-अजहर ने मस्जिद अल-अक्सा के नमाजियों पर इजरायली सेना के हमले को आतंकवादी घटना करार दिया है और कहा है कि इससे करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अल-अजहर ने विश्वभर के मुस्लिम देशों और जनता से संयुक्त रूप से इसका विरोध करने की अपील की है।

इत्तेमाद (8 अप्रैल) के संपादकीय में मस्जिद अल-अक्सा पर हुए हमले की निंदा की गई है और उसे फिलिस्तीनी जनता की धार्मिक आजादी के बुनियादी अधिकार का हनन बताया गया है। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि यहूदी वहां पर अपना त्योहार मनाने के लिए जानवरों की कुर्बानी करना चाहते थे, जोकि रमजान की पवित्रता की भावना के खिलाफ है।

ईरान में हिजाब न पहनने पर सख्त कार्रवाई की धमकी

हमारा समाज (3 अप्रैल) के अनुसार ईरान के मुख्य न्यायाधीश ने यह घोषणा की है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद समिति रॉयटर्स के अनुसार मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसिनी ने ऐसे वक्त पर यह बयान दिया है, जब पहले से ही गृह मंत्रालय भी यह निर्देश दे चुकी है कि हर महिला को अनिवार्य रूप से हिजाब पहनना होगा। परंतु मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हिजाब पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली महिलाओं के लिए किस तरह की सजा का निर्धारण किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि कानून को लागू करने वाले सभी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब के कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न्यायपालिका को रिपोर्ट करें और दोषियों को गिरफ्तार करें।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 13 सितंबर को ईरान की पुलिस ने एक 22 वर्षीय कुर्द युवती महसा अमीनी को ठीक ढंग से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विरोध-प्रदर्शनों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह अब भी जारी है। इन विरोध प्रदर्शनों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 30-35 हजार के बीच बताई जाती है। जबकि लाखों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

गौरतलब है कि ईरान में 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद जो इस्लामिक कानून लागू किए गए हैं, उसके तहत ईरानी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और इस कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है।

ओपेक देशों में तेल के मूल्यों में वृद्धि

हमारा समाज (4 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों ने तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की जो कटौती की है, उसके कारण तेल के मूल्यों में छह प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियट के सौदों में 80 डॉलर की कीमत दर्ज हुई है। जबकि सऊदी अरब के पेट्रोल के मूल्य में 84 डॉलर प्रति बैरल की कीमत दर्ज हुई है। गौरतलब है कि सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, अल्जीरिया और ओमान की ओर से तेल के उत्पादन में कटौती का यह सिलसिला इस वर्ष के अंत तक जारी रहेगा।

पिछले वर्ष ओपेक देशों ने प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल के उत्पादन में जो कटौती की थी, उसके बाद से यह दूसरी सबसे बड़ी कटौती है। रूस ने भी तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 5 लाख बैरल कटौती करने का फैसला किया है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी और केंद्रीय बैंकों पर ब्याज की दर में वृद्धि के लिए और अधिक दबाव पड़ेगा। सऊदी अरब ने अगले महीने से इस साल के अंत तक प्रतिदिन पांच लाख बैरल तेल के उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है।

सियासत (4 अप्रैल) के अनुसार तेल के उत्पादनों में कटौती के फैसले की अमेरिका ने आलोचना की है और कहा है कि इससे विश्वभर में मूल्य वृद्धि का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और यह पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। ■

यमन में युद्धविराम

इंकलाब (12 अप्रैल) के अनुसार ईरान और सऊदी अरब के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत होने के साथ ही यमन में आठ वर्षों से चल रहे गृहयुद्ध के अब समाप्त होने के आसार हैं। यमन के हूती विद्रोहियों और सरकार के बीच युद्धविराम की घोषणा की गई है। यमन में सऊदी अरब के राजदूत ने युद्धविराम को मजबूत बनाने और वार्ता के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हूती विद्रोहियों के प्रमुख केंद्र साना का दौरा किया है। सऊदी राजदूत मोहम्मद बिन सईद अल-जबर ने कहा है कि मैं ओमान के एक

प्रतिनिधि के साथ साना का दौरा कर रहा हूं, ताकि युद्धविराम को सख्ती से लागू किया जा सके। इसके अतिरिक्त कैदियों के तबादले के तरीके पर भी विचार किया जा रहा है।

इन प्रयासों का सऊदी अरब के नेतृत्व में गठित सेना ने समर्थन किया है और कहा है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव और दुश्मनी में कमी आई है। हालांकि, अधिकृत रूप से युद्धविराम की सरकारी अवधि पिछले वर्ष के अक्टूबर महीने में ही समाप्त हो गई थी। मगर इसके बाद दोनों पक्षों ने इसमें छह महीने की और वृद्धि करने का फैसला किया। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन चैनल ने सऊदी अरब के राजदूत अल-जबर को हूती विद्रोहियों के नेता महदी अल-मशात से हाथ मिलाते हुए दिखाया है।

गौरतलब है कि यमन में आठ वर्ष तक चले गृहयुद्ध के चलते 50 लाख लोग बेघर हो गए हैं और हजारों लोग मारे गए हैं। संवाद समिति रॉयटर्स ने यह संकेत दिया है कि सऊदी अरब और यमन के विद्रोहियों के बीच हुई बातचीत के कारण साना एयरपोर्ट और अन्य बंदरगाहों को फिर से खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशी सैनिकों के यमन से निष्कासन पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है। हाल ही में सऊदी अरब ने एक दर्जन से अधिक प्रमुख हूती युद्धबंदियों को भी रिहा किया है। बताया जाता है कि इस वार्ता के पीछे परोक्ष रूप से चीन का हाथ है।

सियासत (11 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में यमन में युद्धविराम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इससे मुस्लिम जगत में पुनः एक बार एकता स्थापित होने की संभावना नजर आ रही है। पहले यमन में उत्तरी और दक्षिणी यमन दो अलग-अलग देश थे, जिनके एकीकरण में सऊदी अरब ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यमन के एकीकरण से पहले एक भाग पर सुन्नी, तो दूसरे भाग पर शिया सत्तारूढ़ थे। बाद में ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ने के कारण शिया हूती कबीला यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ सक्रिय हो गया और दोनों के बीच गृहयुद्ध शुरू हो गया। गौरतलब है कि यमन में गृहयुद्ध की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी साना पर कब्जा कर लिया था और यमन के सुन्नी शासक को देश से फरार होकर सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी थी।

इत्तेमाद (13 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में सऊदी और हूती पक्षों के बीच शांति वार्ता पर प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा है कि इससे इस क्षेत्र में शांति की नई आशा पैदा हुई है। दोनों पक्षों ने यमन को यह आश्वासन दिया है कि वे देश में गृहयुद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। यमन के सरकारी सूत्रों का दावा है कि युद्धविराम की अवधि में दो वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे के युद्धबंदियों की रिहाई का भी सिलसिला शुरू कर दिया है। ताजा सूत्रों के अनुसार हूतियों के नियंत्रण वाले बंदरगाहों को फिर से खोला जा रहा है, ताकि व्यापारिक गतिविधियां शुरू की जा सके।

मुस्लिम जगत से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील

इंकलाब (9 अप्रैल) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दुनियाभर के मुसलमानों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। मस्जिद अल-अक्सा पर हुए हमले के बाद इन दोनों मुस्लिम राष्ट्रपतियों ने टेलीफोन पर लंबी बातचीत की थी। उन्होंने मुस्लिम देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेष रूप से ओआईसी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह किया है कि वे पवित्र धार्मिक स्थानों की यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कदम उठाएं।

इन दोनों मुस्लिम राष्ट्रपतियों ने यूरोप के देशों में इस्लाम, रसूल और कुरान के खिलाफ बढ़ती हुई जनभावना पर भी चिंता प्रकट की है और कहा है कि जिस तरह से स्वीडन में तुर्की दूतावास के बाहर हाल ही में कुरान को जलाया गया है, उसके खिलाफ इस्लामिक विश्व में जबरदस्त विरोध पैदा होना चाहिए। हाल ही में हमास के कुछ बड़े नेताओं ने इजरायल की बढ़ती हुई आक्रामक कार्रवाईयों के बारे में मध्य पूर्व और अफ्रीका में रूस के राष्ट्रपति के विशेष दूत और रूसी उप विदेश मंत्री से टेलीफोन पर लंबी बातचीत की है। बताया जाता है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्लिम देशों में अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए रूस को मुस्लिम देशों के मामलों में अधिक रुचि लेनी चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को नया जीवन मिल सके।

महाराष्ट्र में 800 फर्जी स्कूल

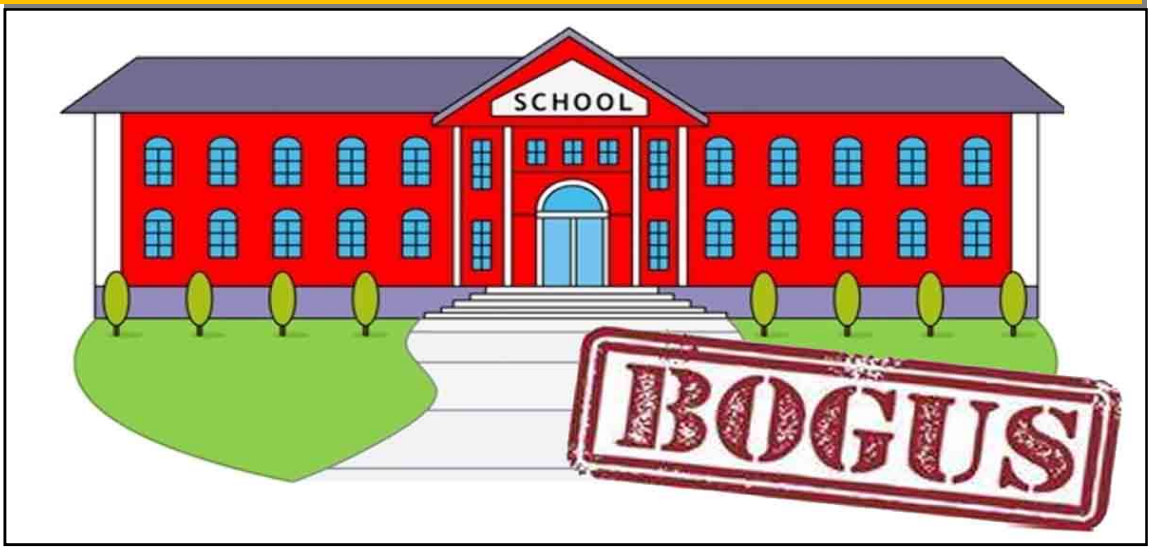

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अप्रैल) के अनुसार महाराष्ट्र में 800 स्कूल फर्जी पाए गए हैं। यानी इन स्कूलों का पंजीकरण नहीं हुआ है और ये बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। इनमें से 100 स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें स्थाई तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि 700 अन्य स्कूलों पर भी शीघ्र ही कार्रवाई किए जाने की संभावना है। अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी के स्कूल भी इन फर्जी स्कूलों की सूची में शामिल हैं।

गौरतलब है कि राज्य में 1300 स्कूलों की छानबीन की गई थी, जिनमें से 800 स्कूलों के दस्तावेजों में त्रुटियां पाई गईं। इनमें से केवल पुणे में ही 43 से ज्यादा फर्जी स्कूल हैं। राज्य में 800 ऐसे स्कूल पाए गए हैं, जो किसी न किसी रूप में अनियमितता के साथ चलाए जा रहे हैं। यदि किसी स्कूल के रिकॉर्ड में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और संबंधित विभाग द्वारा स्कूल को शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र नहीं पाया जाएगा, तो उस स्कूल को फर्जी करार देकर बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से 1300 स्कूलों को उनके दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर नोटिस भेजे गए थे। इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कोई क्षति न हो इसके लिए इन्हें अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने का निर्देश दिया गया है।

यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में मुस्लिम लड़कियों की कामयाबी

मुंबई उर्दू न्यूज (12 अप्रैल) के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा (यूपीपीसीएस) के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी गई है। इनमें पांच मुस्लिम लड़कियों का चयन हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन परीक्षाओं में सफलता पाने वाली तीन मुस्लिम लड़कियों को एसडीएम नियुक्त किया जाएगा और दो अन्य मुस्लिम लड़कियों को डीएसपी नियुक्त किया जाएगा। इन

लड़कियों में से तीन टॉप 15 उम्मीदवारों में शामिल हैं। जिन लड़कियों का चयन एसडीएम के पद के लिए हुआ है, उनमें से लखनऊ की सल्तनत परवीन, इंदौर की मोहसिना बानो और बांदा की फरहीन माजिद शामिल हैं। जिन लड़कियों का चयन डीएसपी के लिए हुआ है, उनके नाम आसमा वकार और रेशम आरा हैं। जबकि तीन मुस्लिम नौजवानों का चयन डीएसपी के लिए हुआ है, जिनके नाम फहद अली, शाहरूख खान और शकील मोहम्मद हैं।

मस्जिद–ए–नबवी में प्रतिदिन 400 टन आब–ए–जमजम वितरीत

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अप्रैल) के अनुसार मदीना की मस्जिद-ए-नबवी में प्रतिदिन 400 टन आब-ए-जमजम श्रद्धालुओं में वितरीत किया जा रहा है। इस वितरण के लिए 520 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आब-ए-जमजम को कंटेनरों में भरकर मस्जिद-ए-नबवी में पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त मस्जिद-ए-नबवी के प्रांगण और छत पर भी यह पवित्र जल उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक आब-ए-जमजम के 14 हजार से अधिक कंटेनर मस्जिद-ए-नबवी में आ चुके हैं।

हैदराबाद को भाग्यलक्ष्मी नगर कहे जाने पर ईसाई नाराज

सियासत (10 अप्रैल) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए हैदराबाद को भाग्यलक्ष्मी मंदिर का शहर कहा था। प्रधानमंत्री के इस बयान का विरोध येल्लारेड्डी के ईसाईयों ने किया है। येल्लारेड्डी में गुड फ्राइडे के दिन एक विशेष रैली निकाली गई थी, जिसे नगरपालिका के अध्यक्ष के. सत्यनारायण ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पर देश में सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि हैदराबाद अनेक मंदिरों, गिरिजाघरों, मस्जिदों और दरगाहों का शहर है और उसे सिर्फ एक मंदिर तक सीमित करना सरासर गलत है, जोकि हैदराबाद नगर की सेक्युलर परंपराओं के भी खिलाफ है। इस अवसर पर अनेक ईसाई पादरी भी मौजूद थे।

मिस्र में फल नहीं खरीदने पर पति ने की पत्नी की हत्या

इंकलाब (11 अप्रैल) के अनुसार मिस्र में एक 22 वर्षीय नर्स फातिमा सईद की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि फातिमा ने अपने पति मोहम्मद हातिम से रमजान में फल खरीदने के लिए कुछ रुपये मांगे थे और पति ने पत्नी को रुपये दे भी दिए। मगर फातिमा ने बाजार से फल खरीदने की बजाय कुछ अन्य वस्तुएं खरीद कर घर वापस आ गई। इस पर उसके पति ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। मृतका फातिमा काहिरा स्थित बच्चों के अस्पताल अबू अल-रिश में कार्यरत थी। इन दोनों की शादी पांच महीने पहले ही हुई थी। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

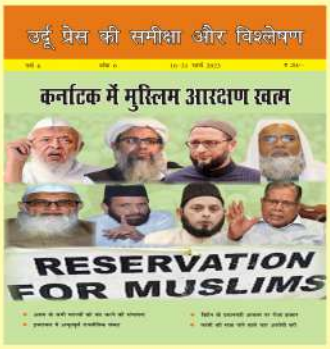

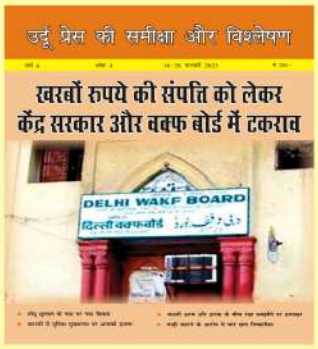

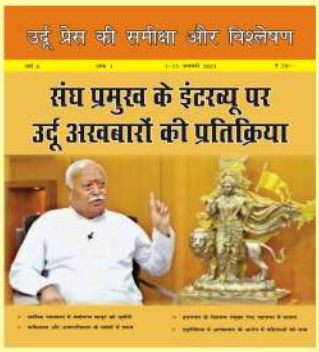

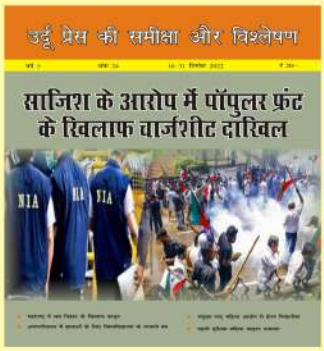

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in